

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019—अग्रहायण 8, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2019

क्रमांक ई 1-09/2018/एक-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03-10-2019 के सरल क्रमांक 3 में उल्लेखित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 04-05/2019/चौबीस.-छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा आदेश क्रमांक-1176 एच./जसंसं/2001, दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के तहत छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष नियम, 2001 बनाया गया था. उक्त नियम व समय-समय पर इस पर किये संशोधनों को विलोपित करते हुए राज्य शासन अब छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2019 बनाता है.

छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम-2019

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-

- (क) यह नियम छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2019 कहलायेगा.
 (ख) यह नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशील होगा.
 (ग) यह नियम छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष नियम, 2001 का स्थान लेगा.

2. नियम का कार्यक्षेत्र :-

छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम उन सभी संचार प्रतिनिधियों पर लागू होंगे, जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और जिनका कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है.

3. सहायता राशि :-

पत्रकारों के कल्याण के लिए शासन द्वारा आवंटित राशि से इन नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जायेगी.

4. परिभाषाएँ :-

विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही होगा जो उनके सामने दर्शाया जा रहा है :-

4.1 "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन.

4.2 "संचालक/आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़.

4.3 "संचार प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है कोई भी श्रमजीवी पत्रकार जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार अधिनियम, 1955 में परिभाषित एवं समय-समय पर संशोधित किया गया हो, जिसका मुख्य जीविकोपार्जन का साधन प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक/वेबपोर्टल/न्यूज सर्विस में रिपोर्टिंग अथवा समाचार संपादन है तथा वह पूर्णकालिक या अंशकालिक या संविदा पर इस कार्य हेतु नियोजित हो और पत्रकारिता के अलावा जीविकोपार्जन का अन्य कोई साधन न हो. इसमें संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, संवाददाता, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो जर्नलिस्ट, स्वतंत्र पत्रकार शामिल हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे :-
 (अ) जो मुख्यतः प्रबंधन अथवा प्रशासकीय कार्य में नियोजित हो.

(ब) जो पर्यवेक्षकीय कार्य में नियोजित हो या फिर उन्हें सौंपे गये दायित्वों का स्वरूप पर्यवेक्षकीय हो या प्रबंधकीय हो.

4.4 "परिवार" से अभिप्रेत है यथास्थिति.

(अ) पति/पत्नी.

(ब) रोजगार प्राप्त करने की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक आश्रित पुत्र-पुत्री, जो भी पहले हो.

(स) आश्रित माता-पिता जो आयकरदाता न हों, किसी संस्था से पेंशन प्राप्त न कर रहे हों अथवा किसी संस्था से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त न कर रहे हों.

- 4.5 "सेवानिवृत्त संचार प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है, ऐसे संचार प्रतिनिधि जो न्यूनतम 25 वर्ष की अंशकालिक/पूर्णकालिक पत्रकारिता पश्चात् किसी मीडिया संस्थान से सेवा निवृत्त हुए हों तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो.
- 4.6 "फोटोग्राफर" से अभिप्रेत है कोई भी फोटोग्राफर जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार अधिनियम, 1955 में परिभाषित एवं समय-समय पर संशोधित किया गया हो और पत्रकारिता में अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक फोटोग्राफी के अलावा अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन न हो.
- 4.7 "मीडिया संस्थान" से अभिप्रेत है कोई भी प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया संस्थान जो दैनिक आधार पर शत-प्रतिशत समाचार प्रकाशित/प्रसारित करता हो, साप्ताहिक, पाक्षिक/मासिक समाचार पत्र प्रकाशन जो राज्य से प्रकाशित होते हों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया की दशा में राज्य में प्रसारित होते हों अथवा राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स जिनका समाचार प्रसारण राज्य के न्यूनतम 15 जिलों में होता हो.
- 4.8 इस नियम में प्रयुक्त शब्द/वाक्यांश जिनकी व्याख्या नहीं की गई है, उनका अर्थ वही होगा जैसा कि तत्समय में प्रचलित राज्य अधिमान्यता नियम में व्याख्यित किया गया हो.

5 छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति :-

- 5.1 "छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति" से अभिप्रेत है ऐसी समिति जिसका गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचार प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रकरणों में परामर्श देने के लिए किया गया है.
- 5.2 **समिति के सदस्य** – छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में 11 संचार प्रतिनिधि, आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, सदस्य एवं संचार प्रतिनिधि कल्याण शाखा के प्रभारी, अपर संचालक/संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय सदस्य सचिव, इस प्रकार कुल 13 सदस्य होंगे. संचार प्रतिनिधियों में 08 सदस्य प्रिंट, 02 सदस्य इलेक्ट्रानिक तथा 01 सदस्य अन्य लोकप्रिय संचार माध्यम से होगा. समिति में संचार प्रतिनिधियों का मनोनयन राज्य शासन द्वारा इस प्रकार किया जाएगा, जिससे यथासंभव प्रदेश के सभी राजस्व संभाग और संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व हो सके. विशेष प्रकरणों में अभिमत हेतु समिति संचालक स्वास्थ्य शिक्षा को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगी.
- 5.3 **समिति का कार्यकाल** – छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति का कार्यकाल राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता.
- 5.4 **सदस्यता की समाप्ति** – समिति के सदस्यों द्वारा सदस्यता से त्यागपत्र देने, संबंधित संस्थान से स्थानांतरित होने/सेवानिवृत्त होने/त्यागपत्र देने, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने अथवा ऐसे अन्य कारण जिसे शासन मान्य करें, सदस्यता समाप्त हो सकेगी.
- 5.5 **समिति की बैठकें** –
- (अ) समिति की बैठकें एक वर्ष में न्यूनतम चार बार (प्रत्येक तिमाही में एक बार) तथा आवश्यकतानुसार कभी भी आयोजित की जा सकेगी.
- (ब) समिति की बैठक आयोजित करने की सूचना सात दिन पूर्व जारी की जायेगी. आवश्यकता होने पर आपातकालीन बैठक 48 घण्टे की सूचना पर आयोजित की जा सकेगी.

6. सहायता की पात्रता :-

- 6.1 संचार प्रतिनिधि ने आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करने के पूर्व न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा अवधि पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरी की हो.
- 6.2 संचार प्रतिनिधि ने आर्थिक सहायता के प्रकरण में इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अथवा आयुष्मान योजना या तत्समय प्रचलित किसी अन्य योजना से निःशुल्क इलाज सुविधा प्राप्त न की हो.
- 6.3 ऐसे संचार प्रतिनिधि जिनका मासिक वेतन समस्त परिलब्धियों सहित रू. 50 हजार से कम है वे सभी प्रकार के प्रकरणों की आर्थिक सहायता हेतु आवेदन कर सकेंगे.
- 6.4 ऐसे संचार प्रतिनिधि जिनका मासिक वेतन समस्त परिलब्धियों सहित रू. 50 हजार से अधिक किन्तु रू. 1 लाख से कम है, वे न्यूनतम 3 दिवस हॉस्पिटलाइजेशन अथवा रू. 25 हजार से अधिक चिकित्सा देयक होने पर अथवा मृत्यु की दशा में ही सहायता हेतु पात्र होंगे.
- 6.5 समस्त परिलब्धियों सहित रू. 1 लाख मासिक से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले संचार प्रतिनिधि गंभीर बीमारी यथा हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोग आदि से पीड़ित होने पर, 5 दिवस से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन अथवा रू. 50 हजार से ज्यादा चिकित्सा देयक होने पर अथवा मृत्यु की दशा में ही सहायता के पात्र होंगे.
- 6.6 ऐसे श्रमजीवी पत्रकार, जिनकी आय रू. 2.00 लाख प्रतिमाह से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता से आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे. हालांकि आकस्मिक मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता पर विचार किये जाने के समय पूरे परिवार की सम्पूर्ण आय का ध्यान रखा जायेगा.

7. सहायता देने की परिस्थितियां :- छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता कोष से आर्थिक सहायता निम्न स्थितियों में दी जा सकेगी :-

- 7.1 कण्डिका 4.3 एवं 4.4 में उल्लेखित प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को दीर्घ या गंभीर बीमारी या दुर्घटना में आहत होने पर इलाज के लिए.
- 7.2 किसी दैवी विपत्ति से पीड़ित होने पर.
- 7.3 संचार प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ में न्यूनतम 25 वर्ष की पत्रकारिता और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद निराश्रित होने या वृद्धावस्था में विपन्नता के कारण.
- 7.4 सेवारत संचार प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाने पर यदि उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों की आजीविका का अन्य कोई साधन न हो.
- 7.5 संचार प्रतिनिधियों को प्राकृतिक या आकस्मिक विपत्ति जैसे आगजनी आदि प्रकरणों में आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। "यदि कोई श्रमजीवी पत्रकार किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे आगजनी, वाहन दुर्घटना, आकस्मिक रूप से सम्पत्ति का नुकसान आदि, किसी दुर्घटना का शिकार होता है अथवा जन आंदोलनों/दंगों/बाढ़ में समाचार कवरेज करते समय पत्रकार/कैमरामैन का व्यक्तिगत कैमरा आदि उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने पर."

8. आर्थिक सहायता की वित्तीय सीमा :- पत्रकार कल्याण सहायता राशि से संचार प्रतिनिधि अथवा आश्रित परिवार के सदस्यों को एक वर्ष में न्यूनतम 10 हजार और अधिकतम 2.00 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी :-

- 8.1 छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क अधिकतम राशि रूपए 2.00 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकेंगे.
- 8.2 आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा समिति की दो बैठकों के अंतराल में जो तीन माह से अनाधिक होगा, गंभीर बीमारी/दुर्घटना/मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाएं, जिसमें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, संतुष्ट होने पर अपनी वित्तीय सीमा तक सहायता राशि स्वीकृत कर सकेंगे. ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन अथवा शेष राशि पर विचार हेतु अनिवार्यतः रखे जायेंगे.

8.3 विशेष परिस्थितियों में संचार प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने में एवं अन्य वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की दशा में आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय को यह समाधान होने पर कि संचार प्रतिनिधि को आर्थिक सहायता की तात्कालिक आवश्यकता है, अपनी वित्तीय सीमाओं के भीतर आवश्यक आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी. ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखे जाएंगे.

8.4 आर्थिक सहायता की वित्तीय सीमा –

सरल क्र. (1)	प्रकरण का प्रकार (2)	आर्थिक सहायता की सीमा (3)
1.	पत्रकार की मृत्यु	(अ) एकमुश्त अधिकतम राशि रु. 2.00 लाख अथवा (ब) अधिकतम राशि रु. 1.00 लाख तथा रु. 3000 प्रतिमाह पेंशन आगामी 3 वर्ष तक वैध उत्तराधिकारी को. अथवा (स) अधिकतम 2 बच्चों को रु. एक हजार प्रतिमाह की ट्यूशन फीस कक्षा दसवीं तक, रु. 1500/- प्रतिमाह कक्षा बारहवीं तक तथा स्नातक शिक्षा (03 वर्ष के लिए) के लिए प्रतिमाह रु. 2000/- आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित बच्चा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा उत्तीर्ण कर रहा हो. अथवा (द) अधिकतम राशि रु. 1.00 लाख की तात्कालिक सहायता एवं आश्रित एक बच्चे के उच्च शिक्षा के लिये अधिकतम रु. 1.00 लाख रूपए. (आश्रित परिवार की इच्छानुसार उपरोक्त में कोई एक विकल्प)
2.	स्थायी विकलांगता जिससे पत्रकार जीवकोपार्जन करने में असमर्थ हो (40 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता)	अधिकतम राशि रु. 2.00 लाख
3.	घातक Injury (चोट जिसमें स्थायी विकलांगता न हो किन्तु चोट की Recovery के लिए एक माह से अधिक Hospitalisation आवश्यक हो.)	अधिकतम राशि रु. 2.00 लाख
4.	गंभीर बीमारियां	अधिकतम राशि रु. 2.00 लाख तक. यह चिकित्सा व्यय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान योजना या तत्समय प्रचलित अन्य कोई स्वास्थ्य योजना से न हो.
5.	छोटी Injury जिसमें न्यूनतम 3 दिन तक का Hospitalisation हो.	चिकित्सा का वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम रु. 50,000/- जो भी कम हो.

(1)	(2)	(3)
6.	कैमरे अथवा अन्य उपकरण का नुकसान.	अधिकतम राशि रु. 50,000/- अथवा क्षतिग्रस्त वस्तु का वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो.

- 8.5 मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता राशि पत्रकार की विधवा-विधुर को, पत्नी-पति के दिवंगत होने पर आश्रित बच्चों को और संचार प्रतिनिधि के अविवाहित होने अथवा पत्नी-बच्चे के न होने पर उसके आश्रित माता-पिता को दी जायेगी.
- 8.6 देहावसान की दशा में आर्थिक सहायता हेतु दिवंगत पत्रकार की पत्नी/पति शासकीय सेवा में न हो अथवा अन्य किसी स्रोत से आय होने पर आयकरदाता न हो.
- 8.7 आर्थिक सहायता में राशि गणना के लिए सामान्यतः प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना/आयुष्मान योजना अथवा तत्समय में प्रचलित अन्य स्वास्थ्य योजना के तहत लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न उपचारों हेतु निर्धारित दरों को आधार माना जायेगा.
- 8.8 **अपवाद** - पत्रकार कल्याण समिति विशेष प्रकरणों/अपवाद दशा अधिक राशि की अनुशंसा या नियमों में शिथिलता या विशेष सहायता की अनुशंसा कर सकेगी.

9. सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

- 9.1 सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर स्वयं अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्य को आवेदन करना होगा.
- 9.2 अशक्त होने के कारण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक संचार प्रतिनिधि अथवा उसके आश्रितों को निकट से जानने वाले दो पत्रकार उनकी ओर से आवेदन कर सकेंगे. इस आवेदन पत्र पर क्रियाशील पत्रकार कल्याण सहायता समिति के दो सदस्यों की अनुशंसा आवश्यक होगी.
- 9.3 **आवेदन पत्र में आवश्यक अभिलेख :-**
- 9.3.1 दुर्घटना में मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आंशिक अथवा पूर्ण विकलांगता की दशा में तत्संबंधी प्रमाण पत्र, उपचार पर्ची तथा दवाइयों के देयक जो मेडिकल आफिसर/हेल्थ आफिसर/अस्पताल से प्रमाणित हो.
- 9.3.2 संचार प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को प्राणघातक रोगों जैसे कैंसर, हृदय की बायपास सर्जरी/एन्जियोप्लास्टी, न्यूरो सर्जरी जैसे गंभीर रोगों के उपचार हेतु सहायता के प्रकरणों में डीन मेडिकल कॉलेज, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा) अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर पत्रकार कल्याण समिति की सहमति से आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क द्वारा ऐसे प्रकरणों में उपचार के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी. गंभीर बीमारियों के प्रकरणों में, इस प्रयोजन के लिए रोगी को सरकारी अथवा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इन्डोर रोगी के रूप में इलाज कराया जा रहा हो या कराया जाता हो.
- 9.3.3 संचार प्रतिनिधि को बीमारी के इलाज के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए बीमारी, चिकित्सालय में भर्ती होने, दवाओं आदि की खरीदी पर यह व्यय के प्रमाण शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिन्डेंटेड/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

- 9.3.4 सहायता राशि 20,000/- से अधिक होने पर संबंधित अस्पताल के चिकित्सक अथवा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट से वास्तविक इलाज का प्राक्कलन (एस्टीमेट) प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि का बैंक ड्राफ्ट सीधे संबंधित चिकित्सालय के नाम भेजा जायेगा. इसके पूर्व रोगी को भर्ती दवा खरीदी के देयक एवं अन्य जांच के देयक प्रस्तुत करने होंगे.
- 9.3.5 संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता कोष से स्वीकृत राशि को निरस्त किया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि आर्थिक सहायता प्राप्ति के किये कपटपूर्ण अथवा गलत जानकारी दी गई है. संबंधित दोषी संचार प्रतिनिधि के विरुद्ध इस कृत्य पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी.
- 9.3.6 संस्था के संपादक का अनुशंसा पत्र.
- 9.3.7 संपादक का अनुशंसा एवं सम्पूर्ण प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर वांछित अभिलेख सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला जनसम्पर्क कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा.
- 9.3.8 संबंधित जिला जनसम्पर्क अधिकारी आर्थिक सहायता आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संचार प्रतिनिधि के आवेदन का परीक्षण कर अनुशंसा सहित आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय को अग्रेषित करेंगे, जिसकी सूचना संबंधित आवेदन संचार प्रतिनिधि को भी दी जायेगी, जिस पर समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा।
10. **निर्णय :-** प्राप्त आवेदन पत्रों पर संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा/निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.
11. **व्याख्या :-** इन नियमों के व्याख्या के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क का मत अंतिम एवं बंधनकारी होगा.
12. **सामान्य :-** इन नियमों के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करना श्रमजीवी पत्रकार का अधिकार नहीं है. समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर विचारोपरांत की गई अनुशंसा राज्य शासन की स्वीकृति तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. राज्य शासन का यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए किसी प्रकरण को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करें.
13. **विविध :-**
- 13.1 संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता से आर्थिक सहायता हेतु आश्रित माता-पिता उन्हें ही माना जायेगा, जिसकी लिखित जानकारी संचार प्रतिनिधि ने अपने नियोक्ता संस्थान को दी होगी.
- 13.2 मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता मात्र कार्यरत संचार प्रतिनिधि के आश्रित परिजनों को ही प्राप्त होगी.
- 13.3 क्षतिग्रस्त कैमरे अथवा अन्य उपकरण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु कैमरा/उपकरण आवेदक के व्यक्तिगत स्वामित्व का होना अनिवार्य होगा.
- 13.4 छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता से आर्थिक सहायता हेतु उन्हीं वेब पोर्टल के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे, जो अधिमाम्यता नियमों के तहत पात्र हों.
- 13.5 आर्थिक सहायता हेतु राज्य के बाहर से प्रसारित हिंदी टीवी न्यूज चैनल्स (प्रादेशिक न्यूज चैनल मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़कर) एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाई न्यूज चैनल्स की दशा में संबंधित न्यूज चैनल के संवाददाता के नियोजन प्रकार, उसका राज्य के जिलों में प्रसारण, लोकप्रियता एवं अन्य मापदण्डों पर भी विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव.